

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुझुनूं  
अंतिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई  
(आदेश 20 नियम 6 और 7)

पीठासीन अधिकारी :- रामसिंह राजावत (आर.ए.एस.)

मुकदमा न०- 220/2022

जी सी एम एस न० 2022/834

दर्ज दिनांक 15.06.2022

निर्णय दिनांक 21.07.2023

नरपत

बनाम

जमनलाल आदि

दावा विभाजन

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी ब हाजिरी उभयपक्षकारान मिनजानिब मुदई वल्द ...  
-..मिनजानिब मदयलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि :-

वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 27.02.2023 को अंतिम डिक्री किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव दिनांक 27.02.2023 मय नजरी नक्शा अंतिम निर्णय व अंतिम डिक्री का अभिन्न हिस्सा रहेगा। तहसीलदार गुढ़ागौड़जी को आदेशित किया जाता है कि उक्त विभाजन प्रस्ताव के अनुसार मूल नक्शे में तरमीम की जावे व उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।  
निज..-.....निल..... मुबलिक -.....निल..... दाबन.-.....  
.....निल..... खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह -..  
.....निल..... फीसदी आज की तारीख से तारीख अदायगी तक -..  
.....निल..... का अदा करे। सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 21 माह 07 सन 2023 को जारी की गई।

(रामसिंह राजावत)

उपखण्ड अधिकारी  
उदयपुरवाटी (झुझुनूं)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :- रामसिंह राजावत (आर.ए.एस.)

मुकदमा न०- 220/2022

जी सी एम एस न० 2022/834

दर्ज दिनांक 15.06.2022

निर्णय दिनांक 21.07.2023

नरपत

बनाम

जमनलाल आदि


अंतिम निर्णय

उपर्युक्त उनवानी प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 14.11.2022 को प्राथमिक डिक्री व निर्णय पारित किया गया कि ग्राम छावसरी पटवार हल्का छावसरी तहसील गुढागौड़जी के भूमि खसरा न. 1221/930, 1260/937, 929, 930 कुल किता 4 कुल रकबा 3.92 है० भूमि में वादी हिस्से की भूमि का कब्जा काश्त एवं राजस्व रिकार्ड के अनुसार रास्ते का प्रावधान रखते हुए विधिवत विभाजन किये जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार तहसीलदार गुढागौड़जी उभयपक्षों की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार करें तथा मय नक्शा के दो प्रतियों में न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करें।


प्रकरण में इस न्यायालय के निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 14.11.2022 की पालना में तहसीलदार (भू.अ.) गुढागौड़जी से पत्र क्रमांक:- भू.अ./2023/534 दिनांक 27.02.2023 द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ। विभाजन प्रस्ताव पर कोई ऐतराज पेश नहीं। अतः उपरोक्त परिपेक्ष्य में वाद को विभाजन प्रस्ताव के अनुसार डिक्री किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतित होता है।

आदेश

वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 27.02.2023 को अंतिम डिक्री किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव दिनांक 27.02.2023 मय नजरी नक्शा अंतिम निर्णय व अंतिम डिक्री का अभिन्न हिस्सा रहेगा। तहसीलदार गुढागौड़जी को आदेशित किया जाता है कि उक्त विभाजन प्रस्ताव के अनुसार मूल नक्शे में तरमीम की जावे व उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। अंतिम डिक्री पर्चा जारी हो।

  
रामसिंह राजावत  
उपखण्ड अधिकारी  
उदयपुरवाटी (खसरा)

निर्णय आज दिनांक 21.07.2023 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(रामसिंह राजावत)  
उपखण्ड अधिकारी  
उदयपुरवाटी